FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप जिला–फलोदी

पूनाराम वगैरा **बनाम** **तहसीलदार बाप**

किस्म मुकदमा 152 सी.पी.सी. **मु.नं.** 126/2025 **सन**............

RCMS NO-2025/233

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2025	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विरूद्व अप्रार्थी के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पर आज ही बहस सुनी जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में बताया कि ग्राम झड़ासर के खसरा नंबर 767/3 व 901/769 में से रास्ते की घोषणा हेतु प्रार्थना पेश किया था। उक्त वादग्रस्त भूमि की प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित खसरान् से रास्ते हेतु इस्तदुआ चाही थी लेकिन निर्णय टंकण करते समय ग्राम झड़ासर टंकित करने से रहा गया। इसलिए उक्त निर्णय में ग्राम अनोपनगर के स्थान पर ग्राम झड़ासर संशोधित आदेश जारी किये जाने के आदेश फरमावे। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वाद के निर्णय में सहवन से ग्राम झड़ासर के स्थान पर ग्राम अनोपनगर टंकित कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **आदेश** अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता का स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 122/2024 अनवान पूनाराम वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2025 के कियात्मक ओदश में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम अनोपनगर के स्थान पर ग्राम झड़ासर पढा व समझा जावे। शेष प्रविष्टयां यथावत रहेगी। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ नत्थी हो। निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से सरे इजलास सुनाया गया। 10/6/25 (सुखाराम पिण्डेल,R.A.S.) सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	